FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर (राज0) मुकाम अलवर

उनवान रामकिशन बनाम तहसीलदार

किस्म मुकदमा प्रा0पत्र रेस्टोरेशन नम्बर 15/21/2026 दायर दिनांकः–23.03.2026

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.03.2026	वकील प्रार्थी ने उपस्थित न्यायालय होकर रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवकताओं की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी के वकील रज्जन सिद्ध की लड़की की अचानक तबीयत खराब होने से वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके जिसके कारण मौजूदा अपील सं. 12/88/2025 दायर दिनांक 03.06.2025 बउनवान रामकिशन बनाम तहसीलदार मालाखेडा को दिनांक 28.10.2025 को अदम हाजरी/पैरवी में खारिज फरमा दी गई, जिसमें अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं पक्षकार की किसी प्रकार की कोई बदयान्ती नहीं है। इसलिए मौजूदा अपील को अविलंब नंबर पर लिया जाना न्यायोचित है। वकील प्रार्थी ने प्रा0पत्र रेस्टोरेशन स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी अधिवक्ता के तर्कों/कथनों का विरोध करते हुए रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया। हमने प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रा0पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। वकील प्रार्थी के अनुसार मौजूदा अपील में पक्षकार के हित निहित है। पक्षकारों को विधिनुसार न्याय मिले इसलिए मूल पत्रावली को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते हैं। पत्रावली को पुनः नंबर पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। उक्त प्रा0पत्र मूल पत्रावली के साथ संलग्न हो। मूल पत्रावली रिकॉर्ड से तलब कर पत्रावली दिनांक 13.04.2026 को पेश हो। जिला कलक्टर अलवर (राज0)	